अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशोधन) / ——— / 19, लखनऊ:: दिनांक : 27 :: जून–2019,

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक–1015 / 19 दिनांक 12.06.2019 द्वारा दिनांक 01.07.19 से 06.07.19 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1, 2, 3 व 4 कानपुर के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–गोरखपुर **(न्यायिक)** एवं सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–4 कानपुर **(विभागीय)** को सम्मिलित करते हुए कानपुर में खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–गोरखपुर (न्यायिक) द्वारा प्रेषित पत्रांक–120 / 19 दिनांक 27.06.19 इस आशय का प्रेषित किया गया है कि उनके वृद्ध सास एवं ससुर,जो उनके साथ रहते हैं अचानक उनकी तबियत खराब हो गयी है जिनकी देखभाल करने के कारण दिनांक 01.07.19 से 06.07.19 तक के लिए गठित खण्डपीठ में उनके द्वारा भाग लेना संभव नहीं है। अतःउपरोक्त के आधार पर यह निवेदन किया गया कि कानपुर में गठित उक्त खंड पीठ से उन्हें मुक्त कर दिया जाये।

सदस्य पीठ–गोरखपुर द्वारा किये गये निवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त कानपुर में गठित उक्त खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए **"न्यायिक सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–गोरखपुर "** के स्थान पर **"न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–अलीगढ़** को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0–27.06.19
(प्रेम कला सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशो0 / 1096 / 2019, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–गोरखपुर।
2–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–अलीगढ़।
3–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1, 2, 3 व 4 कानपुर।
4–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5–मुन्सरिम / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता / विवरण / कम्पयूटर) मुख्यालय।
6–सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।